

निगम-3996/2018/रोवा/भूखण्ड

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर का सर्किट कोर्ट रोवा
म0प्र010 श्री अरुण जी. शिंदे,
दाता पेशा/30.6.18श्रीमाल तिवारी तनय रुद्रभान तिवारी उम्री करीबन 78 वर्ष,
पेशा- खेती, निवासी साकिम - बैराठपुर थाना लौर तह0 मऊंज
जिला रोवाम0प्र0,

----- आर्केड / निगरानीकर्ता

किरूद

शब्देषी तनय जगदीश प्रसाद ब्रा0 उम्री करीबन 50 वर्ष, पेशा-खेती

2- श्रीमती रामकली पत्नी जगदीश तिवारी उम्र करीबन 70 वर्ष, पेशा-खेती

3 - मुकेश प्रसाद तिवारी तनय श्री जगदीश प्रसाद तिवारी उम्र करीबन 38 वर्ष,
पेशा-खेती,4- राहुल कुमार तिवारी पिता जगदीश प्रसाद तिवारी उम्र करीबन 32 वर्ष,
उपरोक्त समस्त निवासी साकिम - बैठाठपुर तह0 मऊंज थाना लौर
जिला रोवाम0प्र0,----- अनार्केड / गैर निगरानीकर्ता
गण,

निगरानी किरूद राजस्व प्र0क्र0-102 अ74/

2016-17 में माननीय अनुविभागीय अधिकारी
तह0 मऊंज जिला रोवाम0प्र0 द्वारा पारित
निर्णय दिनांक 18-5-2018, ^{वेब}
अंतर्गत धारा 50 ~~अनुच्छेद~~ एवं सहपाठित 8 म0प्र0
भू0 रा10 संहिता 1959ई. ¹उक्त निगरानीमाननीय तहसीलदार द्वारा
पारित रा. प्र. क्र. - 30 अ74 / 2015-16 में~~पारित~~ आदेश दिनांक 14-3-2016/ ~~14-3-2016~~से संबंधित रही है, माननीय तहसीलदार
तह0 मऊंज द्वारा रा10 प्र0क्र0- 47/अ63/07/
2008 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2007 के
क्रियान्वयन हेतु आर्केडन पत्र प्रस्तुत किया गया था,
जिसे संबंध में उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक14/3/16/ ~~14-3-2016~~ को आदेश दिया गया,
एवं इसी आदेश के विरूद्ध माननीय अनु0 अधि-
कारी के यहाँ उक्त अपील दा परकी गयी थी,
उक्त प्रकरण इसी निगरानी से सम्बद्ध है।
Xक्र:
29/6/18

कलकत्ता केवल 20

(124)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

3996

क्रमांक निग0/3996/2018/भू-रा0

जिला-रीवा

भैयालाल तिवारी/शब्देश प्रसाद ब्रा0

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 102/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	